

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प० /2018/84

दिनांक : 23/10/2018

—: आदेश :-

डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2808/2012 स्यूमोटो के बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 की अनुपालना में राज्य की जेल डिस्पेंसरियों में रेडियो विशेषज्ञ चिकित्सकों को सोनोग्राफी मशीन के रजिस्ट्रेशन हेतु मनोनीत किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	मनोनीत पदस्थापन स्थान
1.	अजमेर	डा० अनुराध: भारद्वाज, चि०अ० (रेडियो-CCFS)	जिला चिकित्सालय ब्यावर, अजमेर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी अजमेर
2.	भरतपुर	डा० आशीष कुमार जैन, चि०अ० (रेडियो)	जिला चिकित्सालय भरतपुर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी भरतपुर
3.	बीकानेर	डा० माधव शर्मा, उप निदेशक (रेडियो-CCFS)	पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी बीकानेर
4.	जयपुर	डा० दिनेश, चि०अ० (रेडियो-CCFS)	राजकीय जेल डिस्पेंसरी जयपुर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी जयपुर
5.	जोधपुर	डा० सरोज पंवार, व०वि० (रेडियो)	राजकीय जेल डिस्पेंसरी जोधपुर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी जोधपुर
6.	कोटा	डा० विकास पाल, चि०अ० (रेडियो ट्रेन्ड)	जिला चिकित्सालय रामपुरा, कोटा	राजकीय जेल डिस्पेंसरी कोटा
7.	उदयपुर	डा० सुमित्रा गौड, चि०अ० (रेडियो)	आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज उदयपुर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी उदयपुर

नोट :- उपरोक्त चिकित्सक सप्ताह में एक दिन संबंधित जेल डिस्पेंसरियों में सोनोग्राफी का कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प० /2018/84

दिनांक : 23/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
4. महानिदेशक (कारागृह), राजस्थान, जयपुर को लेख है कि संबंधित जेल डिस्पेंसरियों में उक्त चिकित्सकों के नाम से सोनोग्राफी मशीन का रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/संबंधित नियंत्रण, संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन उक्त चिकित्सकों को कार्यमुक्त कर कार्यग्रहण हेतु पाबन्द करें। आदेश की पालना नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
8. संबंधित चिकित्सक अपनी उपस्थिति संबंधित जिला कारागृह में तत्काल प्रभाव से देवे व कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में आपके विरुद्ध सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावे।
10. निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।